निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (श0)
(सं0 पटना 523) पटना, वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

6 मई 2013

सं0 22/नि0सि0(वीर0)–07–13/2006/522——श्री ब्रहमदेव प्रसाद राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, (निलंबित) पश्चिमी तटबंध प्रमण्डल, निर्मली, वीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत को वर्ष 2005–06 में कराये गये बाढ़ निरोधात्मक कार्य की जांच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरान्त प्रथम द्रष्टया निलंबित आरोप प्रमाणित पाया गयाः–

(1) वर्ष 2005–06 में पश्चिमी कोशी तटबंध (घोधरडीहा से नीचे) के कि0 मी0 32.79 से 32.87 के बीच तटबंध में कटाव निरोधक कार्य आपके द्वारा कराया गया, जो विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया। ब्रीक पीचिंग कार्य में साबुत ईट की जगह ब्रीक बैट के साथ निक्स ईट पाया गया।

(2) वर्ष 2005–06 में पश्चिमी कोशी तटबंध (घोधरडीहा से नीचे) के कि0 मी0 37.415 से 37.630 के बीच तटबंध में कटाव निरोधक कार्य की जांच उड़नदस्ता से करायी गयी। जांच के क्रम में कहीं भी नायलन क्रेट के अन्दर बालू भरी सीमेंट की बोरी नहीं पायी गयी। मात्र सिल्ट के अन्दर कही कही सीमेंट की बोरी पायी गयी। कराये गये ब्रीक क्रेटिंग में साबुत ब्रीक के जगह लगभग 50 प्रतिशत ब्रीक बैट पाया गया। कराये गये कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया।

(3) वर्ष 2005–06 में पश्चिमी कोशी तटबंध (घोधरडीहा से नीचे) के कि0 मी0 38.30 से 38.365 के बीच तटबंध में कटाव निरोधक कार्यो की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। जांच के क्रम में पाया गया कि ब्रीक क्रेटिंग कार्य में लगभग 25 प्रतिशत ब्रीक बैट भरा हुआ पाया गया जो विशिष्टि के प्रतिकूल है। उक्त प्रमाणित आरोपों के संबंध में श्री ब्रहमदेव प्रसाद राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञाप सं0–352 दिनांक 10.4.07 से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इसी बीच श्री राय, कार्यपालक अभियन्ता दिनांक 30.4.09 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं0–119 सह पठित ज्ञाप सं0–623 दिनांक 7.7.09 द्वारा श्री राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत परिवर्तित करते हुए निलंबन मुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार एवं विभाग के स्तर पर की गयी। जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोप सं0–1 एवं 2 पर सहमत होते हुए श्री ब्रहमदेव प्रसाद राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता से विभागीय पत्रांक 273 दिनांक 15.3.12 से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री राय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में श्री राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के आरोप सं.–1 एवं 2 प्रमाणित पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री ब्रहमदेव प्रसाद राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, (निलंबित) पश्चिमी तटबंध प्रमण्डल, निर्मली, वीरपुर को ''दस प्रतिशत पेंशन पर तीन वर्षो तक के लिए रोक'' का दण्ड देने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री ब्रहमदेव प्रसाद राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को निम्न दण्ड दिया जाता हैः–

''दस प्रतिशत पेंशन पर तीन वर्षो तक के लिए रोक''

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

अतः उक्त दण्ड श्री ब्रहमदेव प्रसाद राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
श्याम कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 523-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in